डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] रायपुर, मंगलवार , दिनांक 1 मई 2001—वैशाख 11, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2001

क्रमांक डी/1839/21-अ/(प्रारूपण) 2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अधिनियम (क्रमांक 1 सन् 2001) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है. "छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 3 सन् 2001).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्रमांक 3 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2001

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

छत्तीसगढ़ सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था करने हेतु अध्यादेश.

यत: राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम.

इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 3 सन् 2001) है.

2. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 25 सन् 1991 को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने के कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा 3 से 6 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

3. धारा 3 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जायें, अर्थात् :—

"परंतु जीवनकाल कर का उद्ग्रहण, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर, उसमें विनिर्दिष्ट मोटर वाहनों के संबंध में किया जायेगा."

4. धारा 14 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में शब्द, "धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक" के स्थान पर, शब्द "द्वितीय अनुसूची" स्थापित किया जाये.

5. प्रथम अनुसूची का संशोधन.

(1) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि चार की मद (घ) के खण्ड (1) के उपखण्ड (एक) (क) तथा (ख), खण्ड (2) के उपखण्ड (एक), खण्ड (3) के उपखण्ड (दो) (क) तथा (ख) तथा खण्ड (4) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"(घ) ऐसे यान, जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, नगर मार्गों से भिन्न मार्गों पर प्रक्रम वाहन के रूप में चलाये जा रहे हों :—

(1) वातानुकूलित या डीलक्स, या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों की बाबत्, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है और जहां एक दिन में यान द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी-

(एक) 100 किलोमीटर से अनधिक-

(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए — रुपये 250 प्रति सीट प्रति मास.

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए — रुपये 200 प्रति सीट प्रति मास.

(2) साधारण सेवा के रूप में चलाने,के अनुज्ञात यानों की बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है और जहां एक दिन में यान द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी-

(एक) 100 किलोमीटर से अनधिक- रुपये 160 प्रति सीट प्रति मास.

(3) वातानुकूलित/डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों बाबत् ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए यह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहां अनुज्ञापत्र-

(दो) पारस्परिक करार के बिना प्रति हस्ताक्षरित किया गया है-

(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए रुपये 40 प्रति सीट प्रति मास - प्रत्येक 10 किलो मीटर या उसके भाग के लिए रुपये 20 प्रति सीट प्रति मास.

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए रुपये 40 प्रति सीट प्रति मास + प्रत्येक 10 किलो मीटर या उसके भाग के लिए रुपये 15 प्रति सीट प्रति मास.

(4) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहां अनुज्ञा पत्र-

(दो) पारस्परिक करार के बिना प्रति हस्ताक्षरित किया गया है- रुपये 40 प्रति सीट प्रति मास + प्रत्येक 10 किलो मीटर या उसके भाग के लिए रुपये 10 प्रति सीट प्रति मास.

(2) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद चार के उप मद (च) के खण्ड (1) तथा (6) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

"(1) ऐसे यान, जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात "है और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88 की उपधारा (9) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी किये गये ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट" के अंतर्गत टेकागाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है-

(एक) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-128 के उपनियम (10) के अधीन निम्नलिखित बैठने की व्यवस्था के साथ वाहनों के लिए-

(क) दो तथा दो सीट व्यवस्था रुपये 800 प्रति सीट प्रति मास.

(ख) दो तथा एक सीट व्यवस्था रुपये 950 प्रति सीट प्रति मास.

(ग) एक तथा एक सीट व्यवस्था रुपये 1250 प्रति सीट प्रति मास.

रुपये 950 प्रति सीट प्रति मास.

(दो) वातानुकूलित टूरिस्ट बस
(किसी भी अनुज्ञात बैठक व्यवस्था के लिये)

(6) ऐसे यान जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मंजूर किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं. (चालक को छोड़कर) प्रति सीट के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है.

अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसके अंतर्गत आने वाली सम्पूर्ण दूरी के प्रति 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए साधारण बस के लिए 50 पैसे प्रतिसीट और डीलक्स बस के लिए एक रुपये प्रति सीट जो यथास्थिति खण्ड (ग), (घ), (ङ) या (च) (2) के अधीन संदत्त कर के अतिरिक्त होगा."

(3) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि चार में स्पष्टीकरण (9) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"स्पस्टीकरण (10):—मद चार की उपमद (च) के खण्ड (1) के प्रयोजन के लिए टूरिस्ट यान में बैठने की व्यवस्था की अस्तित्व जांच (फिजीकल वेरिफिकेशन) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के उप नियम (10) के अधीन कराधान प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्टि की जायेगी और कराधान प्राधिकारी द्वारा या छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर इसका सत्यापन किया जायेगा"

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"द्वितीय अनुसूची

(धारा-3 की उप धारा-(1) का प्रथम परन्तुक)

		मोटरयानों का वर्णन (1)	जीवनकाल कर की दर (2)
1.		किसी भी प्रकार की लदान रहित वजन की संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोटरसाईकिलें.	यान की कीमत का 4 प्रतिशत.
2.		किसी भी प्रकार की लदान रहित मोटर कारें	
	क.	जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक नहीं है.	यान की कीमत का 5 प्रतिशत.
	ख.	जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक है.	यान की कीमत का 6 प्रतिशत.
3.		अशक्त यात्री गाड़ी	रुपये 360.

		(1)	(2)
4.		आटो रिक्शा (लोक सेवा यान)	
	क.	अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी विभिन्न स्कीमों तथा शर्तों के, जैसे की राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए, अधीन ऋण लेने के पश्चात् क्रय किये गये तथा उसके स्वामित्व में, के यान.	यान की कीमत का 2 प्रतिशत.
	ख.	उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रय किये गये तथा उनके स्वामित्व में, के यान.	यान की कीमत का 5 प्रतिशत.
5.		निजी उपयोग के लिए ओमनीबस जिसके बैठने की क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा 12 यात्रियों तक हो.	यान की कीमत का 6 प्रतिशत.

स्पष्टीकरण :—

1. यान की कीमत से अभिप्रेत है व्यापारी द्वारा करों सहित वसूल की गई कीमत.

2. उपरोक्त यान के वर्ग के आधार पर जीवन कालिक कर की गणना करने के लिए यान स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह व्यापारी द्वारा दी गई विक्रय रसीद यान के रजिस्ट्रीकरण के समय प्रस्तुत करें."

रायपुर :
दिनांक : 3 अप्रैल 2001

राज्यपाल
छत्तीसगढ़

CHHATTISGARH ORDINACE
(No. 3 of 2001)

THE CHHATTISGARH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ADHYADESH 2001

Promulgated by the Governor in the Fifty two year of the Republic of India.
An Ordinance to provide an additional revenue to the State Government of Chhattisgarh.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action:

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. Short title. This Ordinance may be called the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sansodhan) Adhyadesh, 2001.

2. Chhattisgarh Act No. 25 of 1991 to be temporarily Amended. During the period of operation of this ordinance the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in section 3 to 6.

3. Amendment of Section 3. For the first proviso of sub-section (1) of section 3 of the Principal Act the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the life time tax shall be levied at the rates specified in the Second Schedule in respect of motor vehicles specified therein."

4. Amendment of Section 14.

In sub section (2) of section 14 of the Principal Act, for the words 'first proviso of sub section (1) of section 3', the words "Second Schedule" shall be substituted.

5. Amendment of First Schedule.

(1) In the First Schedule of Principal Act, for sub-clause (i) (a) and (b) of clause (1), sub-clause (i) of clause (2) sub-clause (ii) (a) and (b) of clause (3) sub-clause (ii) of clause (4), of sub item (d) of item IV the following sub item shall be substituted, namely :—

"(d) vehicles permitted to carry more than six passengers plying as stage carriage on routes other than city routes :—

(1) In respect of vehicles permitted to ply as air-conditioned or deluxe or express service for every passenger which the vehicle is permitted to carry and where the total distance permitted to be covered by the service in a day :—

(i) does not exceed 100 kms.

(a) for air-conditioned/deluxe service. — **Rs. 250/- per seat per month.**

(b) for express service. — **Rs. 200/- per seat per month.**

(2) In respect of vehicles permitted to ply as ordinary service for every passenger which the vehicle is permitted to carry and where the total distance permitted to be covered by a vehicle in a day-

(i) does not exceed 100 kms. — **Rs. 160/- per seat per month.**

(3) in the respect of vehicles of other State permitted to ply as air-conditioned/deluxe or express service for every passenger which the vehicle is permitted to carry and where the permit is countersigned.

(ii) without a reciprocal agreement :—

(a) for air-conditioned/deluxe service. — **Rs. 40/- per seat per month plus Rs. 20/- for each 10 kms. or part thereof per seat per month.**

(b) for express service. — **Rs. 40/- per seat per month plus Rs. 15/- for each 10 kms. or part thereof per seat per month.**

(4) In respect of vehicle of other State permitted to ply as ordinary service for every passenger which the vehicle is permitted to carry and where the permit is countersigned.

(ii) without a reciprocal agreement— **Rs. 40/- per seat per month plus Rs. 10/- for each 10 kms. or part thereof per seat per month."**

(2) For sub-item (f) of item IV clause (1) and (6) the following clause shall be substituted, namely:—

"(1) vehicle permitted to carry more than six passengers and plying as contract carriage covered by all India tourist permit issued by Chhattisgarh State under sub-section (9) of Sec. 88 of the Motor

Vehicles Act, 1988 for each seat (other than the driver) which the vehicle is permitted to carry and.

(i) having seating arrangements under sub-rule (10) of rule 128 of the Central Motor Vehicle Rules 1989, with :—

(a) seating layout two and two — Rs. 800/- per seat per month.

(b) seating layout two and one — Rs. 950/- per seat per month.

(c) seating layout one and one — Rs. 1250/- per seat per month.

(ii) for air-conditioned tourist bus. (with any permitted seating layout) — Rs. 950/- per seat per month.

(6) vehicle permitted to carry more than six passangers and plying as contract carriage on temporary permit granted under clause (a) of sub-sec. (1) of Sec. 87 of the Motor Vehicles Act. 1988 for each seat (other than the driver) which the vehicle is permitted to carry. — 50 paise for ordinary bus and one rupees for deluxe/air conditioned bus per seat per 10 kms. or part thereof for the entire distance to be covered in accordance with the conditions of the permit, in addition to tax paid under clause (c). (d). (e) or (f) (2) as the case may be."

(3) After Explanation (9) of item IV, the following explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation (10) :—for the purpose of clause (1) of sub item (f). in item IV in colum (1) the physical verification of seating layout in a tourist vehicle shall be done by the Taxation Authority under the provision of sub-rule (10) of rule 128 of the Central Motor Vehicle Rules. 1989 and shall be entered in the certificate of registration and tax taken and it shall be verified from the time to time by the Taxation Authority or officers authorized by the State Government in this behalf under section 16 of Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991."

6. For the Second Schedule of the Principal Act the following Schedule shall be substituted. namely :— Amendment of the Second Schedule.

"Second Schedule

(See first proviso to sub section (1) of Section 3)

		Description of Motor vehicles (1)	Rate of life time tax (2)
1.		Motorcycles with or withour attachment of any unladen weight.	4% of the cost of vehicle.
2.		Motor cars of any unladen weight-	
	(a)	Cost of which does not exceed rupees five lacs.	5% of the cost of vehicle.
	(b)	Cost of which exceeds rupees five lacs.	6% of the cost of vehicle.
3.		Invalid Carriage.	Rs. 360/-

(1)			(2)
4.	Auto-rickshaw (Public Service Vehicl) plying for hire and reward permitted to carry not more than six passengers.		
	(a)	Vehicle purchased after taking loans under various schemes and conditons as decided by the State Government by its notification, from time to time and owned by any person belonging to scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and minority community.	2% of the cost of vehicle.
	(b)	vehicle purchased and owned by the person other than the person mentioned in (a) abvoe.	5% of the cost of vehicle.
5.	Omnibus registered for private use having seating capacity exceeding 6 and up to 12 (excluding driver).		6% of the cost of vehicle.

Explanation :—

1. Cost of vehicle means cost including tax realized by the dealer.
2. For calculating the life time tax on the basis of the above class of vehicle, the owner of the vehicle shall be required to produce sale receipt issued by the dealer at the time of the registration of vehicle."

Raipur :

Date : 3rd April 2001

GOVERNOR
Chhattisgarh.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.